सं0–2985 / 69.1.2000–52 (सा) / 2000

प्रेषक,

श्री योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश

लखनऊः दिनाँक–16 अगस्त, 2000

महोदय,

प्रदेश की मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण व शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 15.8.2000 से जनपद की प्रत्येक नगरपालिका में माह के दूसरे शुक्रवार को पहले से प्रचारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व में चयनित मलिन बस्तियों में 'चौपाल' का आयोजन जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा। परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण इसके संयोजक होंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण के अधीन कार्यरत सामुदायिक विकास समितियों को प्रेरित किया जायेगा कि वे मलिन बस्तियों के निवासियों को अधिक से अधिक संख्या में इस चौपाल में लाये ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण हो सके व इस योजना का लाभ पहुँचाया जा सके। इस चौपाल के माध्यम से निम्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाय जायेगा। इस सूची में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी अन्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित कर सकेंगे।

1. विधवा पेन्शन।
2. वृद्धावस्था पेन्शन।
3. विकलांग पेन्शन।
4. राशन कार्ड सत्यापन व छूटे लोगों का राशन कार्ड बनाना।
5. प्रधानमंत्री नगरीय रोजकार योजना व स्वर्ण जयन्ती स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण।
6. मात्त्व लाभ योजना।
7. गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान।
8. पारिवारिक लाभ योजना।
9. (क) मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, (ख) दवा वितरण, (ग) आँखों का परीक्षण, (घ) मोतियाबिन्द के आपरेशन के लिए मरीजों का रजिस्ट्रेशन व परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी, (छ) टी.वी. परीक्षण व रोगियों की खोज, (ज) कुष्ठ रोगियों का परीक्षण व खोज, (झ) विकलांग व वृद्धा पेन्शन पात्रों के लिए चिकित्सा प्रमाण–पत्र एड्स व अन्य रोगों के बारे में जानकारी क्लोरिन टेबलेट व इलेक्ट्राल का वितरण।
10. आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित नायब तहसीलदार व राजस्त कर्मियों की उपस्थिति।

11. सम्बन्धित थानाध्यक्षों की उपस्थिति में कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण करना।
12. बैंक प्रबन्धक द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर बैंक खाते खोलने सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराना व स्वयं रोजगार की योजना के लाभार्थियों में ऋण वितरण कराना एवं पूर्व के स्वीकृत हुये ऋणों में ऋण वितरण करना।
13. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देना और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना अन्य बिन्दु जिसे जिला स्थानीय प्रशासन उचित समझना हो उसे इसमें सम्मिलित कर सकता है।

उक्त चौपाल को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर निम्न समिति गठित की जाती है।

1. जिलाधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि अध्यक्ष।
2. मुख्य नगर अधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अधिशाषी अधिकारी नगरपालिकायें।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी।
6. अग्रणी बैंक प्रबन्धक।
7. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।
8. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी।
9. अधिशाषी अधिकारी सम्बन्धित नगर निगम।
10. जिला प्रोबेशन अधिकारी।
11. सचिव जिला साक्षरता समिति।
12. जिला पूर्ति अधिकारी।
13. अन्य अधिकारीगण जिलाधिकारी नामित करना चाहें।
14. परियोजना अधिकारी, डूडा–संयोजक।

उपरोक्त आयोजन में आने वाले व्यय का भार जिला नगरीय विकास अभिकरण व राज्य नगरीय विकास अभिकरण में सामुदायिक में संरचना व सहयोग के मद से किया जायेगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण चौपाल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण करेगा व वितरण रखेगा एवं उसके निस्तरण के बारे में अनुश्रवण करेगा। चौपाल में आने वाली समस्याओं का निराकरण मौके पर ही कराया जायेगा। स्थानीय जन प्रतिनिधि को चौपाल में विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा जनपद मुख्यालय की मलिन बस्ती में जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। यदि जनपद में एक से अधिक नगरपालिकायें हैं तो अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी दूसरी मलिन बस्ती में उपस्थित रहेगा व अन्य क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

भवदीय

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला स्तरीय नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(एस0 आर0 लाखा)
सचिव